न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 87/2024

अनवान : —

1. कुरड़ाराम पुत्र देबूराम जाति धाणक साकिन नेठराना तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थीगण
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 18.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 39/55 के मु0न0 24, 25 की कुल 3.795 है0 नहरी मय रास्ता व सड़क कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता में प्रार्थी कुरडराम पुत्र देबुराम के नाम 1/12 हिस्सा व प्रार्थी की माता मनी पत्नी देबूराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 हिस्सा व प्रार्थी की माता के नाम 1/4 दर्ज है जो कि अशुद्ध है जबकि प्रार्थी व प्रार्थी की माता का सही हिस्सा 1/6 —1/6 है।

प्रार्थी व उसकी माता का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी व उसकी माता अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा ग्राम 7 एनटीआर के खाता संख्या 39/55 के मु0न0 24, 25 की कुल 3.795 है0 नहरी मय रास्ता व सड़क कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता में प्रार्थी कुरडराम पुत्र देबुराम के नाम 1/12 हिस्सा व प्रार्थी की माता मनी पत्नी देबूराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 हिस्सा व प्रार्थी की माता के नाम 1/4 दर्ज है जो कि अशुद्ध है जबकि प्रार्थी व प्रार्थी की माता का सही हिस्सा 1/6 —1/6 है जिसे दुरस्त किये जाने के आदेश फरमायें ताकि प्रार्थी व उसकी माता अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा

कुरडाराम बनाम राजस्थान सरकार

तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम 7 एनटीआर के खाता संख्या 39/55 के मु0न0 24, 25 की कुल 3.795 है0 नहरी मय रास्ता व सड़क कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता में प्रार्थी कुरडराम पुत्र देबुराम हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/6 हिस्सा व प्रार्थी की माता का 1/4 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दुरस्त किया जावें एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में दर्ज हिस्सा अनुसार कोई लाभ प्रार्थीगण द्वारा उठाया गया है तो प्रार्थीगण ही उक्त के लिए जिम्मेदार हागा होगा। हिस्सा संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested